भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1032

10.02.2025 को उत्तर के लिए

अदानी कद्‌वपल्ली पत्तन का ईआईए

1032. श्री माथेश्रवरन वी.एस. :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अदानी कट्टुपल्ली पत्तन के विस्तार हेतु व्यापक पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) किया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इस विस्तार से संबंधित ईआईए रिपोर्ट में चिन्हित किए गए पर्यावरणीय खतरों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने ईआईए प्रक्रिया के दौरान स्थानीय समुदायों और हितधारकों से उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए संपर्क किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ग) पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रक्रिया में सक्रीनिंग, परिदृश्यन, सार्वजनिक परामर्श और मूल्यांकन जैसे विभिन्न चरणों में जांच का कार्य शामिल है। मंत्रालय द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्धारित किए गए विचारार्थ विषय के आधार पर पर्यावरणीय प्रबंधन योजना (ईएमपी) सहित एक मसौदा पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) रिपोर्ट तैयार की जाती है। संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मसौदा ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट के आधार पर सार्वजनिक सुनवाई/सार्वजनिक परामर्श संबंधी कार्य करता है। सार्वजनिक सुनवाई/परामर्श के निष्कर्षों को ईआईए/ईएमपी संबंधी अंतिम रिपोर्ट में शामिल किया जाता है। ईआईए/ईएमपी संबंधी अंतिम रिपोर्ट आकलन प्रक्रिया शुरू करने के लिए मंत्रालय को प्रस्तुत की जाती है।

मंत्रालय द्वारा दिनांक 03.07.2009 के पत्र के माध्यम से तमिलनाडु के कट्टुपल्ली में मौजूदा पत्तन के लिए पर्यावरणीय और सीआरजेड स्वीकृति दी गई थी। इसके अलावा, पत्तन विस्तार परियोजना के लिए दिनांक 15.10.2019 के पत्र के माध्यम से संदर्भ की शर्तें (टीओआर) प्रदान की गई थीं। विस्तार परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति देने हतु ईआईए/ईएमपी संबंधी अंतिम रिपोर्ट संलग्न करते हुए कोई आवेदन मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुआ है।

*****